न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 270/14/ दुरूस्ती

1. रामनिवास पुत्र श्री स्व. रामदेवसिंह आयु 29 वर्ष
2. चैनसिंह पुत्रश्री स्व. रामदेवसिंह आयु 24 वर्ष
3. सोहनी देवी पत्नी स्व. रामदेवसिंह आयु 52 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण बोसाणा तहसील व जिला सीकर

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
बाबत वल्दियत का द्वितीय नाम संशोधन हेतु

उपस्थिति– 1. श्री मूलचन्द धायल वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 14.03.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ग्राम बोसाणा तहसील व जिला सीकर के स्थायी निवासीगण है। वादीगण की पैतृक भूमियां ग्राम बोसाणा की खातेदारी भूमि खसरा नं. 75 रकबा 3.07 है. तथा पेवा के खसरा नं. 438/5, 441/1 किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 सही वल्दियत से खातेदारी में दर्ज है। वादीगण की अन्य खातेदारी भूमियां ग्राम भिराणा खसरा नं. 832 ता 834, 836, 874 किता 5 कुल रकबा 5.07 है0 में हि. 1/15 वादीगण के पूर्वज पिता/पति के नाम था जो विरासत में वादीगण सं. 1 व 2 के हि. 5/90, वादी सं. 3 के हि. 1/90 दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ लेकिन वादीगण के पूर्वज को घर पर रामदेवा के नाम से पुकारा जाता था जिससे राजस्व रिकार्ड में रामदेवाराम पुत्र मुकनाराम दर्ज हो गया लेकिन वादी के पूर्वज का स्कूल व नौकरी में नाम रामदेवसिंह था। उसी अनुसार वादीगण की वल्दियत स्कूल व अन्य दस्तावेजात में दर्ज हो गई। इसलिए राजस्व रिकार्ड में रामदेवाराम की जगह रामदेवसिंह करने हेतु दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

2. वादीगण की अन्य भूमि ग्राम राजपुरा जिसके खसरा नं. 101 ता 106 किता 6 कुल रकबा 13.43 है0 में वादीगण के पूर्वज पिता/पति के नाम हि. 2/9 दर्ज राजस्व रिकार्ड था जो विरासत में वादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 10/54 व वादी सं. 3 का हि0 2/54 प्राप्त होकर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ लेकिन उक्त संपदा की खातेदारी में भी वादीगण के पूर्वज का घर का नाम रामदेवा होने से राजस्व रिकार्ड में रामदेवा पुत्र मुकना दर्ज हो गया लेकिन नौकरी व स्कूल में नाम रामदेवसिंह था उसी अनुसार वादीगण की वल्दियत

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

स्कूल व अन्य दस्तावेज में दर्ज हो गयी इसलिए राजस्व रिकार्ड में रामदेवा की जगह रामदेवसिंह करने हेतु दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

3. वाद पत्र के पैरा सं. 1 में दर्ज संपदा व स्कूल दस्तावेज, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी में वादीगण के पूर्वज पिता/यपति का नाम रामदेवसिंह पुत्र मुकनाराम था उसी अनुसार वादीगण की वल्दियत दर्ज हो गयी जबकि वाद के पैरा सं. 2 में दर्ज संपदा में नाम रामदेवाराम व पैरा सं. 3 में दर्ज संपदा में रामदेवा दर्ज हो गयी जिसको संशोधन कर रामदेवाराम/रामदेवा की जगह रामदेवसिंह किये जाने हेतु वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

4. वादीगण को इस गलती की जानकारी दिनांक 11.07.2014 को ग्राम राजपुरा की भूमि की जमाबंदी की नकल किसान कार्ड बनाने हेतु लेने से हुई। जिसके बाद सभी खातेदारी की भूमियों की नकल व अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने पर अंतिम रूप से दिनांक 18.11.2014 को लिये गये दस्तावेज के अवलोकन होने पर वादीगण की वल्दियत दुरूस्ती का वाद कारण उत्पन्न हुआ। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद के पैरा सं. 2, 3 में दर्ज संपदा में राजस्व रिकार्ड में वादीगण की अन्य संपदा वाद पत्र के पैरा सं. 1 में दर्ज संपदा व वादीगण के दस्तावेजात स्कूल, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी, पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड के समान करने हेतु क्रमशः वाद के पैरा सं. 2 में दर्ज संपदा में रामदेवा की जगह रामदेवसिंह तथा वाद के पैरा सं. 3 में दर्ज संपदा में रामदेवाराम की जगह रामदेवसिंह का संशोधन किये जाने की डिक्री जारी की जावें तथा डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को तहरीर जारी की जावें।

5. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया व संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दुरूस्ती की जाने का निवेदन किया गया।

7. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम बोसाणा तहसील व जिला सीकर में जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता सं. 316 व पेवा तहसील व जिला सीकर में जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 201 में रामदेवसिंह के स्थान पर सोहनीदेवी पत्नी रामदेवसिंह, रामनिवास, चैनसिंह पि. रामदेवसिंह जाति जाट का अंकन है। ग्राम राजपुरा प.मं. भगतपुरा में जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 260 में रामदेवा के स्थान पर सोहनीदेवी पत्नी स्व. रामदेवा हि. 2/54, रामनिवास, चैनसिंह पि. रामदेवा हि. 10/54 तथा ग्राम भिराणा प.मं. भगतपुरा में जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 107 में रामदेवाराम पु. मुकनाराम के स्थान पर खसरा नं. 832 ता 834, 836, 874 किता 5 कुल रकबा 5.07 में सोहनीदेवी

Scanned with CamScanner

पत्नी स्व. रामदेवाराम हि. 1/90 रामनिवास चैनसिंह पि. रामदेवाराम हि. 5/90 जाति जाट दर्ज है। ग्राम पंचायत, बोसाणा प.सं. धोद के प्रमाण पत्र दिनांक 09.7.2014 के अनुसार रामदेवसिंह व रामदेवाराम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है तथा स्कूल, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेनकार्ड में नाम रामदेवसिंह पुत्र मुकनाराम ही दर्ज है। उपरोक्त राजस्व अभिलेख व दस्तावेजात के आधार पर नाम संशोधन किया जाना उचित है। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम राजपुरा प.मं. भगतपुरा में जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 260 में सोहनीदेवी पत्नी स्व. रामदेवा हि. 2/54, रामनिवास, चैनसिंह पि. रामदेवा हि. 10/54 स्थान पर सोहनीदेवी पत्नी स्व. रामदेवसिंह हि. 2/54, रामनिवास, चैनसिंह पि. रामदेवसिंह हि. 10/54 तथा ग्राम भिराणा प.मं. भगतपुरा में जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 107 खसरा नं. 832 ता 834, 836, 874 किता 5 कुल रकबा 5.07 में सोहनीदेवी पत्नी स्व. रामदेवाराम हि. 1/90 रामनिवास चैनसिंह पि. रामदेवाराम हि. 5/90 जाति जाट के स्थान पर सोहनीदेवी पत्नी स्व. रामदेवसिंह हि. 1/90 रामनिवास चैनसिंह पि. रामदेवसिंह हि. 5/90 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इबारत मुताबिक जमाबंदियों अनुसार रहेगी। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में संशोधन हेतु तहरीर जारी हो।

8. यह निर्णय आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner